अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

85

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**
**पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**अपील इंतकाल प्रकरण सं0 13/11**

लालचन्द पुत्र श्री बेगाराम जाति मेघवाल निवासी 2 एनजैडपी तहसील श्री विजयनगर हाल 56 एन पी तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थी

बनाम

1. हंसराज
2. पृथ्वीराज
3. सुखराम
4. भीमराज
5. स्तपाल पिसरान गणपतराम जाति मेघवाल सकनाए 33 एनपी तह0 रायसिंहनगर
6. सरस्वतीदेवी पत्नी फूसाराम
7. गीतादेवी पत्नी पृथ्वीराज पुत्रीगण गणपतराम अकवाम मेघवाल निवासी क्रमशः मुकलावा तह0 रायसिंहनगर एवं 2 जी डी तह0 घड़साना
8. बिशनादेवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी 22 एन पी तह0 रायसिंहनगर
9. मॉगी लाल पुत्र हेतराम जाति मेघवाल सा0 33 एन पी तह0 रायसिंहनगर
10. मोहन लाल पुत्र हेतराम जाति मेघवाल सा0 33 एन पी तह0 रायसिंहनगर
11. लीलादेवी पत्नी रिछपाल
12. सुमित्रादेवी पत्नी ख्यालीराम अकवाम मेघवाल सकनाए अराईयांवाली तह0 सूरतगढ
13. रमनादेवी पुत्री हेतराम जाति मेघवाल सा0 33 एनपी तह. रायसिंहनगर।
14. रोशनीदेवी पत्नी हेमराज सा0 डेलवां तह0 पदमपुर
15. स्टेट आफ राज0 जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

**अपील विरूद्व इंतकालसं0 244 दिनांक 08.012.2010 तहसीलदार, (भू0अभि0),रायसिंहनगर।**

उपस्थित : 1. श्री बलकरण बराड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री सन्दीप जोशी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 से 14
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 15

**आदेश** **दिनांक : 22–09–15**

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि मृतक गणपतराम के नाम चक 33 एन पी प0 ह0 नानूवाला तह0 रायसिंहनगर में कुल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर (राज.)



2.152 है0 नहरी बारानी भूमि कागजात माल दर्ज थी। गणपतराम ने अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 12–12–01 को अपीलांट को बेचान कर दी और भूमि का कब्जा अपीलांट को दे दिया। बैयनामा को तस्दीक करने हेतु पेश करने पर बैयनामा को इम्पाउण्ड कर लिया और मूल बैयनामा अपीलांट को वापिस नहीं मिला जिसके कारण अपीलांट खरीद किए गए रकबा का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं करा सका। गणपतराम का देहान्त दिनांक 31–12–09 को हो गया और रेस्पोडेन्टस लालच के वशीभूत होकर अपने नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। अपीलकृत इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।तमाम कार्यवाही एकपक्षीय की गई है। रजिस्टरी इम्पाउण्ड होने के बाद दिनांक 21–3–11 को प्राप्त हुई। इंतकाल दर्ज करने के लिए पटवारी को कहा, जिसपर प0 ह0 ने विरासतन इंतकाल दर्ज होने की बात कही। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि मृतक गणपतराम के नाम चक 33 एन पी प0 ह0 नानूवाला तह0 रायसिंहनगर में कुल 2.152 है0 नहरी बारानी भूमि कागजात माल दर्ज थी। गणपतराम ने जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 12–12–01 को अपीलांट को बेचान कर दी और भूमि का कब्जा अपीलांट को दे दिया। बैयनामा को तस्दीक करने हेतु पेश करने पर बैयनामा को इम्पाउण्ड कर लिया और मूल बैयनामा अपीलांट को वापिस नहीं मिला जिसके कारण अपीलांट खरीद किए गए रकबा का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं करा सका। गणपतराम का देहान्त दिनांक 31–12–09 को हो गया और रेस्पोडेन्टस लालच के वशीभूत होकर अपने नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। अपीलकृत इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। तमाम कार्यवाही एकपक्षीय की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलकृत इंतकाल सं0 244 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8–12–10 को गणपतराम के देहान्त के बाद विरासतन स्वीकार किया गया है जबकि गणपतराम द्वारा चक 33 एन पी के खाता सं0 21/22 के मु0 नं0 51 की 5.629 है0 बारानी भूमि में से अपना समस्त हिस्सा की 1.281 है0 कृषि बारानी भूमि को लालचन्द पुत्र बेगाराम जाति मेघवाल निवासी 2 एन जैड पी तह0 रायसिंहनगर को दिनांक 12–12–2001 को विक्रय कर दी थी। उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक, रायसिंहनगर द्वारा पंजीबद्व न कर, धारा 47

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)



डी की कार्यवाही के लिए लम्बित रखा गया था। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29–7–03 के अनुसरण में मुद्रांक कर वसूल करने के उपरांत बैयनामा पंजीबद्व किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इंतकाल के कॉलम सं0 14 में गणपत राम की मृत्यू दिनांक 31–1–2009 को होना अंकित किया है। इस प्रकार, मृतक गणपतराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपीलकृत कृषि भूमि का बैयनामा लालचन्द के पक्ष में कर दिया था तथा भूमि का कब्जा बेचान की दिनांक से केता को संभलवा दिया था। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय हुई भूमि का विरासतन इंतकाल स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 22–09–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)